

राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर
(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

क्रमांक:- F1(1)Estt./Faculty/Recruitment/RajMES/2019/ 470


दिनांक 25.2.19

संशोधन आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक F1(1)Estt./Faculty/Recruitment/RajMES/2019/450 दिनांक 20.02.2019 के द्वारा सोसायटी के मेडिकल कॉलेजो में टीचिंग फैकल्टी की भर्ती हेतु आयोजित साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों की मेरिट सूची/प्रतीक्षा सूची जारी की गयी थी। लेकिन सहवन टंकण त्रुटि से Chest & T.B. (Assistant Professor) विषय में आंशिक त्रुटि हुई जिससे संशोधन पश्चात् निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

SELECTED CHEST & T.B. (ASSISTANT PROFESSOR)				
Sr. No.	Selected	Application No.	Category	D.O.B.
1.	UR	201907905889	GENERAL	03-10-1987

RESERVE LIST CHEST & T.B. (ASSISTANT PROFESSOR)				
Sr. No.	Waiting No.	Application No.	Category	D.O.B.
1.	RUR	201907907029	GENERAL	10-06-1988


समन्वयक


राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी
जयपुर

क्रमांक:- F1(1)Estt./Faculty/Recruitment/RajMES/2019/ 470

दिनांक 25.2.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
3. उप निदेशक (प्रशासन), राजमेस, जयपुर।
4. नोडल अधिकारी, वेबसाईट को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. रक्षित पत्रावली।


समन्वयक

राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी
जयपुर